# न्यायालय सहायक कलक्टर (S D O) पीपाड़ शहर

# पीठासीन अधिकारी, शैतान सिंह राजपुरोहित R.A.S

राजस्व वाद पत्र संख्या – 02/2019

| वादी :– | बनाम | प्रतिवादीगण :– |
|---|---|---|
| भीयांराम पुत्र श्री बचनाराम जाति माली निवासी बांकलिया तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर । | | 1. जवरीलाल गोद पुत्र हेमाराम जाति माली निवासी पालासनी तहसील व जिला जोधपुर ।<br>2. श्रीमती कमला पुत्री बचनाराम पत्नि श्री ...गुराम जाति माली निवासी बांकलियां तहसील पीपाड़ शहर ।<br>3. भूमिधारी जरीये तहसीलदार पीपाड़ शहर |

**राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

उपस्थित अधिवक्ता :–
श्री बक्तावरसिंह जाखड़ वादी की ओर से
श्री अभिषेक कच्छावाह प्रतिवादीगण की ओर से

## निर्णय

दिनांक : 30.10.2019

वादीगण ने एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया कि यह है कि ग्राम बांकलिया की राजस्व सीमा में वादी की खातेदारी कब्जासुद जमीन आयी हुई है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :– खाता सं. 83 खसरा नम्बर 33/1 रकबा 0.3155 हैक्टयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नम्बर 93 रकबा 2.3218 हैक्टयर किस्म बारानी द्वितीय कुल खसरा 2 कुल रकबा 2.6373 हैक्टर भूमि आयी हुई है । उपरोक्त वर्णित आराजी को वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा । वाद पत्र के पद सं. एक में वर्णित रकबे व खसरे वाली वादग्रस्त आराजी वादी के पिता स्व. बचनाराम पुत्र श्री उरजाराम की खातेदारी कब्जासुद जमीन थी, बचनाराम जी के दो पुत्र जवरीलाल, भीयाराम व एक पुत्री कमला थी जिसमें से बचनाराम अपने नाना श्री हेमाराम पुत्र श्री कानाराम जाति माली निवासी पालासनी के गोद चला गया था तथा वादी के पिता बचनारामजी ने अपने जीते – जी एक रजिस्टर्ड गोदनामा 08.07.1991 को उपपंजीयक प्रथम जोधपुर में निष्पादित करवा दिया था तब से प्रतिवादी सं. एक जवरीलाल गोद पुत्र हेमाराम नाम से जाने जाना लगा व पालासनी में हेमाराम जी चल अचल सम्पति पर काबिज होकर उपयोग करने लग गया इस प्रकार प्रतिवादी सं. एक जवरीलाल ने अपने नाना के गोद चले जाने से प्राकृतिक पिता की सम्पत्ति में कोई हक अधिकार नही रहा तथा वादग्रस्त आराजी वादी के पिता बचनाराम काबिज होकर काश्त करते तथा वादी के पिता बचनाराम के देहान्त पश्चात् वादी व

सहायक कलक्टर एवं पीठासीन अधिकारी पीपाड़ शहर (जोधपुर)

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी सं. दो काबिज काश्त हुए जिसमें से प्रतिवादी सं. दो ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा, वादी के हक में जरीये हकतर्कनामा दिनांक 23.08.2018 के हकतर्क कर दिया इसके पश्चात् उक्त वादग्रस्त आराजी का एक मात्र मालिक वादी ही रहा है लेकिन वादी के पिता बचनाराम के देहान्त पश्चात् फौतेदगी नामान्तरणकरण सं. 910 स्वीकृत करते समय प्रतिवादी सं. एक के अपने नाना हेमाराम के गोद जाने के बावजुद भी वादी के साथ साथ प्रतिवादी सं. एक का नाम दर्ज कर दिया जिसकी जानकारी वादी को न ही रही । प्रतिवादी सं. ने अपना वादग्रस्त आराजी का एकमात्र वादी खातेदार रह गया । लेकिन राजस्व रेकर्ड में राजस्व कर्मचारियो की त्रुटिवंश फौतेदगी नामान्तरणकरण सं. 910 स्वीकृत के समय प्रतिवादी सं. एक का नाम भी इन्द्राज कर दिया इस पर वादी ने दिनांक 13.11.2018 को प्रतिवादी सं. एक का नाम वादग्रस्त आराजी से हटाने हेतु कहा तथा वादी ने कहा तथा वादी ने कहा कि वादग्रस्त आराजी बचनाराम की खातेदारी कब्जासुद जमीन है तथा प्रतिवादी सं. एक जवरीलाल के हेमाराम के गोद चले जाने के बाद बचनाराम के वादी व प्रतिवादी सं. दो ही विधिक वारिसान रहे तथा प्रतिवादी सं. दो ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा वादी के हक में हकतर्क कर दिया है इस पर प्रतिवादी सं. एक टालमटोल करने लग गये इसलिए वादी को उक्त वाद पत्र बाबत् घोषणा खातेदारी का पेश करना पड़ रहा है । वादग्रस्त आराजी वादी की खातेदारी कब्जासुद जमीन है । बचनाराम के देहान्त पश्चात् वादग्रस्त आराजी पर वादी व प्रतिवादी सं. दो विधिक वारिसान रहे जिसमें से प्रतिवादी सं. दो ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा वादी के हक में जरीये हकतर्कनामा दिनांक 23.08.2018 के हकतर्क कर दिया इसलिए वादग्रस्त आराजी का एक मात्र खातेदार व मालिक वादी ही रहा लेकिन प्रतिवादी सं. एक का नाम त्रुटिवंश बचनाराम के फौतेदगी नामान्तरकरण के समय दर्ज हो गया। जिसके आधार पर प्रतिवादी सं. एक को वादी के कब्जा काश्त में दखलन्दाजी पैदा करने का कोई विधिक अधिकार नही है जिसके लिए वादी को उक्त स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पत्र पेश करना पड़ रहा है । बिनाया दावा बहक वादी बरख्लािलाफ प्रतिवादीगण वाद में वर्णित तथ्यो परिस्थितियो की वजह से तथा दिनांक 13.11.2018 को वादी ने प्रतिवादी सं. एक का नाम वादग्रस्त आराजी से हटाकर वादी के नाम दर्ज करवाने का कहने पर प्रतिवादी सं. एक द्वारा टाल मटोल करने पर बमुकाम बांकलिया में पैदा हुआ व आज भी हो रहा है । इस्तदुआ वादी निम्न प्रकार से है :– वादी के हक में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद डिक्री फरमाया जाकर ग्राम बांकलिया की राजस्व सीमा में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 33/1, 93 कुल रकबा 2.6673 हैक्टयर का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जाकर राजस्व रेकर्ड से प्रतिवादी सं. एक व दो का नाम हटाया जाकर वादी के नाम खातेदारी इन्द्राज करवाया जाने का आदेश फरमावें। वादी के हक में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद डिक्री फरमाया जाकर ग्राम बांकलिया की राजस्व सीमा में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 33/1, 93 कुल खसरा 2 कुल रकबा 2.6393 हैक्टयर के वादी के कब्जा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मेड़ता सिटी (नागौर)

Scanned by CamScanner

काश्त उपयोग उपभोग में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलन्दाजी पैदा नही करे न किसी अन्य से करावें । अन्य अनुतोष जो हित वादी हो वादी के हक में अता फरमावें ।

वादी का वादपत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी जरीये सम्मन की गयी । प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 की ओर से वकील अभिषेक कच्छावाह ने वकालतनामा प्रस्तुत किया और जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम बांकलिया की सीमा में खसरा नम्बर 33/1, 39 कुल खसरा 2 कुल रकबा 2.6373 हैक्टयर भूमि आयी हुई है जो बचनाराम के खातेदारी कब्जासुद थी। प्रतिवादी सं. एक हेमाराम के गोद चला गया तथा प्रतिवादी सं. दो ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा जरीये हकतर्कनामा दिनांक 23.08. 2018 के वादी के हक में हकतर्क कर दिया इसलिए उक्त वादग्रस्त आराजी का एक मात्र वादी खातेदार रहा है । बचनाराम के दो पुत्र व पुत्री वादी, प्रतिवादी सं. एक व दो है जिसमें से प्रतिवादी सं. एक अपने नाना हेमाराम पुत्र कानाराम माली निवासी पालासनी के गोद चला गया तथा प्रवितादी सं. दो ने अपने हक हिस्सा की सम्पूर्ण भूमि वादी के हक में हकतर्क कर दी इसके पश्चात् वादी ही वादग्रस्त आराजी पर काविज होकर काश्त करता आ रहा है । बचनाराम के देहान्त के पश्चात् वादी, प्रतिवादी सं. एक व दो के नाम फौतेदगी नामान्तरकरण के दर्ज कर दिये जबकि प्रतिवादी सं. एक अपने नाना हेमाराम के गोद चला गया इसलिए वादग्रस्त आराजी में कोई हक हिस्सा नही रहा प्रतिवादी सं. दो ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा वादी के हक में हकतर्क कर दिया जिससे प्रतिवादी सं. दो का वादग्रस्त आराजी में कोई हक हिस्सा नही रहा इसलिए वादग्रस्त आराजी का वादी को खातेदार घोषित किया जाता है तो प्रतिवादीगण सं. एक व दो को कोई एतराज नही है । इस्तदुआ वादी यह है कि वादी का वाद डिक्री फरमाया जाता है तो प्रतिवादी सं. एक व दो को कोई एतराज नही है । अतः जवाबदावा पेश कर श्रीमान जी से निवेदन है कि वादग्रस्त आराजी का वादी को खातेदार घोषित किया जाता है तो प्रतिवादी सं. एक व दो को कोई एतराज नही है ।

हमने बहस वकुलाय सुनी । वकील वादी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के बिन्दुओ को दोहराते हुए निवेदन किया है कि वादी के हक में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद डिक्री फरमाया जाकर ग्राम बांकलिया की राजस्व सीमा में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 33/1, 93 कुल रकबा 2.6673 हैक्टयर का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जाकर राजस्व रेकर्ड से प्रतिवादी सं. एक व दो का नाम हटाया जाकर वादी के नाम खातेदारी इन्द्राज करवाया जाने का आदेश फरमावें। वादी के हक में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद डिक्री फरमाया जाकर ग्राम बांकलिया की राजस्व सीमा में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 33/1, 93 कुल खसरा 2 कुल रकबा 2.6373 हैक्टयर के वादी के कब्जा काश्त उपयोग उपभोग गें प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलन्दाजी पैदा नही करे न किसी अन्य से करावें । अन्य अनुतोष जो हित वादी हो वादी के हक में अता फरमाने का निवेदन किया है । इसी प्रकार प्रतिवादी वकील ने

उपखण्ड अधिकारी
... (जोधपुर)

एडमिटेड जवाब प्रस्तुत किया है कि वादग्रस्त आराजी का वादी को खातेदार घोषित किया जाता है तो प्रतिवादी सं. 1 व 2 को कोई आपत्ति नहीं है ।

हमने बहस मुखालिफ सुनी व बहस के बिन्दुओं पर मनन किया जाकर तदनुसार तहसीलदार पीपाड़शहर को आदेश दिया जाता है कि ग्राम बांकलिया की राजस्व सीमा में स्थित खसरा नम्बर 33/1, 93, कुल रकबा 2.6373 हैक्टेयर का वादी को खातेदार घोषित किया जाता है प्रतिवादी सं. एक व दो का नाम राजस्व रेकर्ड से हटाया जाकर वादी के नाम खातेदारी दर्ज की जावे व वादग्रस्त आराजी में वादी के कब्जा काश्त उपभोग उपयोग में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलन्दाजी पैदा नहीं करें न ही किसी अन्य से करावें । तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो ।

(शैतानसिंह राजपुरोहित)
सहायक कलेक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक 30.10.2019 को कोर्ट में लिखवाया जाकर बजीनआम सुनाया गया । पत्रावली शुमार होकर जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

(शैतानसिंह राजपुरोहित)
सहायक कलेक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

Scanned by CamScanner

डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई

( आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

( Civil Procedure Code, Appendix D & 1)

# अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर

इजलास शैतानसिंह राजपुरोहित R.A.S.

## भीयाराम बनाम जवरीलाल वगैरा

दावा बाबत 88,188 आर टी एक्ट

राजस्व मूल वाद संख्या **02/2019**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू व तकुलाय हाजरी वकील बक्तावरसिंह जाखड़ मनजानिव मुदई अभिषेक कच्छावाह मनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि तहसीलदार पीपाड़शहर को आदेश दिया जाता है कि ग्राम बांकलिया की राजस्व सीमा में स्थित खसरा नम्बर 33/1, 93, कुल रकबा 2.6373 हैक्टयर का वादी को खातेदार घोशित किया जाता है प्रतिवादी सं. एक व दो का नाम राजस्व रेकर्ड से हटाया जाकर वादी के नाम खातेदारी दर्ज की जावें व वादग्रस्त आराजी में वादी के कब्जा काश्त उपयोग उपभोग में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलन्दाजी पैदा नही करें न ही किसी अन्य से करावें । उक्तानुसार डिक्री पर्चा जारी हो ।

लीज ............शून्य ................मुवलिक ........शून्य............ बाबत ............शून्य............ खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरद..............................शून्य..................................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक..............शून्य....................को अदा करें।

मुहर (उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर)

बसब्ब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 30.10.2019 को जारी की गई।

दस्तखत..........

ओहदा.................

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर (जोधपुर)

| मुदई | रूपया | पै. | मुदायला | रूपया | पै. |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अरजोदावा<br>स्टाम्प वकालतनामा<br>स्टाम्प वजह सबूत<br>महनताना वकील<br>खर्चा गवाहान<br>फीस कमिश्नर<br>बाबत इजराय हुकमनामा<br>मुतफर्रिक<br>मीजान......... | | | स्टाम्प वकालतनामा<br>स्टाम्प अरजी<br>महनताना वकील<br>खर्चा गवाहान<br>फीस कमिश्नर<br>बाबत इजराय हुकमनामा<br>मुतफर्रिक<br>मीजान....... | | |

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर फरीकन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहियें।

Scanned by CamScanner